

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म०प्र०

जमानत आवेदन क्रमांक 23/18

श्रीमती रामवेटी पत्नी ओमप्रकाश राठौर निवासी  
ग्राम कठवां गुर्जर थाना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

शासन

—अनावेदक

12-01-2018

आवेदक/आरोपी श्रीमती रामवेटी की ओर से श्री सतीशचंद्र मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे०एम०एफ०सी० गोहद) से मूल आपराधिक प्र०क्र० 21/17 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त श्रीमती रामवेटी की ओर से अधिवक्ता श्री सतीशचंद्र मिश्रा द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त श्रीमती रामवेटी की ओर से अधि. श्री सतीशचंद्र मिश्रा द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि प्रकरण क्रमांक 198/16 एस.टी. में पारित निर्णय दिनांक 12.12.16 के पालन में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद द्वारा अंतर्गत धारा 340 सहपठित धारा 195 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परिवाद न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 195 भा०दं०सं० के अंतर्गत संज्ञान लिया जाकर समन जारी किया गया है। आवेदक पर मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का आरोप लगाया है, जबकि आवेदिका ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि आवेदिका निरक्षर महिला है तथा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं यदि वह जेल चली गई तो उसके बच्चे भूखे मर जायेंगे। आवेदिका के अलावा अन्य कोई महिला घर पर नहीं है। आवेदिका ग्राम कठवां गुर्जर की स्थाई निवासी है। उसके फरार होने की कोई

संभावना नहीं है। आवेदिका प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होती रहेगी तथा न्यायालय द्वारा जो भी जमानत की शर्तें आरोपित की जावेगी उसका पालन करेगी। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त जो कि एक निरक्षर महिला है उसका न्यायालय से बाहर राजीनामा हो गया था जिसके आधार पर उसने न्यायालय में कथन दिये थे। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 21/17 पुलिस थाना गोहद विरुद्ध रामवेटी राठौर के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त श्रीमती रामवेटी के विरुद्ध धारा 340 सहपठित धारा 195 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि सत्रवाद क्रमांक 198/16 में निर्णय दिनांक 17.12.16 को पारित किया गया था, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आवेदक/अभियुक्त ने न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दी है आवेदक/अभियुक्त द्वारा आलौच्य निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की गई हो और वहाँ से कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने संबंधी अपराध पाये जाने का निष्कर्ष निकालकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है और उस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय अपराध में अभियोग लगाते हुये विचारण न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आधार पर धारा 195 भा०दं०सं० के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है और उसके विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका भी निरस्त हुई है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित प्रकरण की संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त श्रीमती रामवेटी को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल आपराधिक प्रकरण संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)